उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-131/3448/पांच-8-2015-म(04)/2015

लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में अनारक्षित अग्रेनीत पदों पर चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-287(111)/58/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 20-05-2015 में 02 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 श्वेता वर्मा पत्नी डा0 तुषान मोहन, 4/29 विवेक खण्ड-4, केन्द्रीय विद्यालय के सामने, गोमतीनगर, लखनऊ (चयन क्रमांक-41 तथा अनुक्रमांक-51520238637 गृह जनपद-जौनपुर) को मौलिक एवं अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर के अधीन निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- डा0 श्वेता वर्मा को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- डा0 श्वेता वर्मा का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगी।

3- डा0 श्वेता वर्मा संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगी। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमश:

4- डा0 श्वेता वर्मा को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- डा0 श्वेता वर्मा **दिनांक 28-09-2015** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगी। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगीं तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 श्वेता वर्मा को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- डा0 श्वेता वर्मा को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

क्रमश:

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- यदि डा0 श्वेता वर्मा, चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उन्हें यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहती है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि डा0 श्वेता वर्मा द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में डा0 श्वेता वर्मा की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

<u>संलग्नक-शपथ पत्र का प्रारूप।</u>

अरविन्द नारायण मिश्र
सचिव।

<u>संख्या-131/3448(1)/पांच-8-2015-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-287(111)/58/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 25-03-2015 के सन्दर्भ में।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को डा0 श्वेता वर्मा को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

क्रमश:

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 श्वेता वर्मा के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर को इस निर्देश के साथ कि वे डा0 श्वेता वर्मा को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- कोषाधिकारी, सीतापुर।

10- प्रभारी, कम्प्यूटर सैल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-132/एस0एम0-557/पांच-8-2015-म(30)/2014टी0सी0-3

लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/160/पांच-8-2015-म(30)/2014, दिनांक 16-01-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में डा0 जितेन्द्र वर्मा को एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा के अधीन नियुक्ति/तैनाती के आदेश निर्गत किये गये है। कार्यालय ज्ञाप संख्या-56/एस0एम0-90/पांच-8-2015-म(30)/2014टी0सी0-1, दिनांक 06-04-2015 द्वारा डा0 जितेन्द्र वर्मा की पूर्व तैनाती अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती के आदेश निर्गत किये गये थे। पुनः डा0 वर्मा द्वारा अपनी नियुक्ति/तैनाती परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त डा0 जितेन्द्र वर्मा, चिकित्साधिकारी के पूर्व नियुक्ति/तैनाती स्थल अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर को संशोधित करते हुए कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06-04-2015 के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के अधीन एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 जितेन्द्र वर्मा को निर्देशित किया जाता है कि अपने नवीन तैनाती स्थल पर दिनांक 30-09-2015 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-01-2015 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

जी0सी0 कठेरिया
सयुक्त सचिव।

संख्या-132/एस0एम0-557(1)/पांच-8-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश डा0 जितेन्द्र वर्मा को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

क्रमशः

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/आगरा/चित्रकूट धाम मण्डल।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा/सीतापुर/आगरा।
8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
9- कोषाधिकारी, महोबा/सीतापुर/आगरा।
10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in